राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता),जैसलमेर

क्रमांक : आ.प्र.एवं सहा./पशु शिविर/2075/2019/6957 दिनांकः- 09/09/2025

प्रेषित :–

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः – खरीफ संवत् 2075 (पशु शिविर/गौशाला) मांग पत्र संख्या 1813 एवं 1814 दिनांक 22.07.2025 के कम में।

सन्दर्भः – आपका पत्रांक एफ.2(1)(8)आ.प्र.एंव सहा./लेखा/बजट/2024 राजकाज 17380254 दिनांक 01.09.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं सन्दर्भ में निवेदन है कि राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 14.03.2023 को जैसलमेर जिले के अभाव संवत 2075 में संचालित गौ संरक्षण गतिविधियों के लंबित दायित्वों के भुगतान करने के संबंध में निर्णय लिया जाकर निम्नानुसार पशु शिविर व चारा डिपों के बिलों के भुगतान हेतु बजट आवंटन किया गया था :–

क.सं.	संवत	पशु शिविर	राशि	चारा डिपों	राशि
01.	2075	51	17406060	13	7586029

उक्त आवंटित बजट पश्चात पशु शिविर व चारा डिपों के बिलों का वांछित प्रमाणिकरण पश्चात तहसीलदारों व उपखण्ड अधिकारियों से प्राप्त बिलों का निम्नानुसार अंतिम रूप से भुगतान कर दिया गया।

क.सं.	संवत	पशु शिविर	राशि	चारा डिपों	राशि
01.	2075	22	8103061	07	6307095

विभाग द्वारा बजट आंवटन पश्चात निम्न बिल तहसीलदारों एवं उपखण्ड अधिकारियों से माह मार्च, 2024 में प्राप्त हो गये थे व इस कार्यालय द्वारा भुगतान स्वीकृति आदेश जारी कर बिल कोष कार्यालय भी प्रेषित किये गये लेकिन दिनांक 31.03.2024 को कोष कार्यालय स्तर से ईसीएस नहीं होने के कारण बजट व्यपगत हो गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैं :–

क.सं.	संवत	पशु शिविर	राशि	चारा डिपों	राशि
01.	2075	22	7533859	04	1007534

उक्त टेबल संख्या 03 की बजट मांग माह अपैल में विभाग को प्रेषित की गई थी (प्रति संलग्न)

तहसीलदार जैसलमेर एवं उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर से वित्तीय वर्ष 2023–24 समाप्त होने के पश्चात् राज्य कार्यकारी समिति में अनुमोदित निम्नानुसार विल प्राप्त हुए।

क.सं.	संवत	पशु शिविर	राशि	चारा डिपों	राशि
01.	2075	07	1750366	02	103500

इस संबंध में निवेदन हैं कि राज्य कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित बिलों की राशि से बढ़ाकर इस कार्यालय द्वारा बजट मांग नहीं की गई हैं और न ही कोई संवत 2075 का कोई अन्य बिल स्वीकार किया गया हैं। उपरोक्त टेबल संख्या 03 एवं 04 में बिल विलंब से प्रेषित करने के कारण श्री देशलाराम, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर हाल उपखण्ड अधिकारी चितलवाना जालौर के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कार्मिक विभाग राज. जयपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 3022 दिनांक 21.07.2025 द्वारा प्रस्तावित की गई। (प्रति संलग्न)

अतः निवेदन हैं कि इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र 1813 एवं 1814 द्वारा पशु शिविरों हेतु की गई बजट मांग 9285000/– (राउंड ऑफ) एवं चारा डिपों हेतु की गई बजट मांग 1111500/– (राउंड ऑफ) सही हैं एवं राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 14.03.2023 में अनुमोदित हैं। कृपया करके उक्त बजट आंवटन कराने का श्रम करावें ताकि लंबित दायित्वों का निस्तारण किया जा सके।

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

स्मरण–पत्र

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता),जैसलमेर

क्रमांक : आ.प्र.एवं सहा./पशु शिविर/2075/ 4473 दिनांक :– 13/05/2024

प्रेषित :–

श्रीमान् शासन उप सचिव,
आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक विभाग,
जयपुर।

विषयः– अभाव संवत 2075 में संचालित पशु शिविर व चारा डिपों के बिल कोष कार्यालय भिजवाये जाने के बाद पारित नहीं होने पर बजट आवंटन करने बाबत्।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 4333 दिनांक 04.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अभाव संवत 2075 में संचालित पशु शिविर व चारा डिपों के लंबित बिलों का भुगतान करने हेतु विभाग द्वारा बजट आवंटन किया गया। इस संबंध में इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार स्वीकृति जारी की जाकर पे–मैनेजर के माध्यम से बिल कोष कार्यालय प्रेषित किये गये। कोष कार्यालय स्तर से बिल पारित भी कर दिये गये लेकिन ईसीएस नहीं होने के कारण निम्न बिलों का भुगतान नहीं हो सका :–

01. बजट मद 2245–01–104–09–04 उपमद 12 (पशु शिविर)

क. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	बिल नं.	राशि
01	नेड़ान	51189562	689130
02	बरमसर	51189596	122850
03	सोनू	51189421	225888
04	अजासर	51189624	590724
05	भीखाड़ोई जूनी	51189237	803714
06	पोछीणा	51189480	229240
07	छतांगढ़	51189448	473071
08	खुईयाला	51189503	469612
09	सुल्ताना	51189183	589056
10	जीएसएस बारट का गांव	51189258	1104740
11	रासला	51189219	492240
12	ताड़ाना	51189537	96390
13	नेतसी	51189387	1647204
योग :–			**7533859/–**

02. बजट मद 2245–01–104–09–01 उपमद 44 (चारा डिपो)

क. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	बिल नं.	राशि
01	सुल्ताना	51187086	313012
02	सतों	51187109	284934
03	रातड़िया	51187097	141188
04	मोढ़ा	51187065	268400
योग :–			**1007534/–**

अतः उपरोक्त के संबंध में निवेदन हैं कि पशु शिविर के बिलों के भुगतान हेतु राशि रू. 75,33,859/– व चारा डिपों के बिलों के भुगतान हेतु राशि रू. 10,07,534/– का पुनः बजट आवंटन करावें ताकि कोष कार्यालय भिजवाये गये उक्त बिलों का भुगतान किया जा सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

13/5/24

प्रभारी अधिकारी सहायता एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, जैसलमेर

क्रमांक : संस्थापन/2025/ 3022 दिनांक :– 21/07/2025

प्रेषित :–

संयुक्त शासन सचिव,
कार्मिक (क–4) विभाग,
राज. जयपुर।

विषयः– श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, जिला जालौर अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 का नियम–17 के तहत कार्यवाही के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, जिला जालौर दिनांक 22.08.2023 से दिनांक 13.03.2024 तक तहसीलदार जैसलमेर के पद पर पदस्थापित रहे। उक्त समयावधि में अभाव संवत् 2075 में संचालित पशु शिविरों व चारा डिपो के लंबित बिलों का भुगतान करने हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर से बजट आवंटन पश्चात् उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत उनके द्वारा उक्त बिल प्रेषित नहीं किये गये, इस कृत्य के कारण उक्त बिलों का वित्तीय वर्ष 2023–24 में अंतिम रूप से भुगतान नहीं हो सका। उनका यह कृत्य राजकीय कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना एवं लापरवाही का द्योतक हैं।

अतः श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, जिला जालौर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 का नियम–17 के तहत कार्यवाही करने हेतु आरोप पत्र तैयार कर संलग्न आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हैं।

संलग्न :– आरोप पत्र।

(प्रतापसिंह)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर

आरोप पत्र विरुद्ध **श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना जिला जालौर** अन्तर्गत राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 का नियम–17

आरोप पत्र

आप श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, चितलवाना, जिला जालौर **दिनांक 22.08.2023 से दिनांक 13.03.2024** तक तहसीलदार जैसलमेर के पद पर पदस्थापित रहे। उक्त समयावधि में अभाव संवत् 2075 में संचालित पशु शिविरों व चारा डिपो के लंबित बिलों का भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर से बजट आवंटन पश्चात् उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत आप द्वारा लंबित बिल निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं किये जाने के कारण उक्त बिलों का वित्तीय वर्ष 2023–24 में अंतिम रूप से भुगतान नहीं हो सका।

इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर को नोटिस जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में श्री देशलाराम परिहार, तत्कालीन तहसीलदार जैसलमेर द्वारा लंबित बिल निर्धारित समयावधि में प्रेषित नहीं करने के कारण भुगतान नहीं होने के संबंध में अवगत करवाया गया।

आपके इस कृत्य के कारण उक्त लंबित बिलों का भुगतान नहीं हो सका। आपका उक्त कृत्य राजकीय कर्तव्यों की घोर अवहेलना एवं लापरवाही का द्योतक हैं जिसके लिये आप दोषी है।

जिला कलक्टर,
जैसलमेर